

केशवरायपाटन विधायक की जाति हर रिकॉर्ड में कबाड़ी, ये एससी में शामिल नहीं, प्रेमी बोले- मैं बैरवा हूं... राजस्व कर्मियों ने पेशे को ही जाति बना दिया

अवधेश आर्कोदिया | जयपुर

अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित केशवरायपाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सीएल प्रेमी का जाति प्रमाण-पत्र विवादों में है। इस पर राज्यस्तरीय छानबीन समिति 13 माह से फैसला नहीं कर पा रही। भास्कर ने उनके बारां, बूंदी, कोटा में 1951 से अब तक के दस्तावेज खंगाले। 1954 में प्रेमी के जन्मतिथि के पहले के पैतृक राजस्व रिकॉर्ड और स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में जाति 'कबाड़ी' दर्ज है, जो एससी में नहीं आती। हालांकि, उनका कहना है कि वे बैरवा जाति से हैं, राजस्वकर्मियों ने कबाड़ी पेशे को उनकी जाति बना दिया।



सीएल प्रेमी ने एससी रिजर्व सीट से 2008, 2013, 2018 और 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ा। 2008 व 2023 में जीते भी। यही नहीं, एससी प्रमाण-पत्र से उन्होंने 30 साल बैंक में नौकरी भी की है। केंद्र व राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार जन्मतिथि के पहले के उपलब्ध पैतृक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जाति के आधार पर प्रमाण-पत्र बनता है। प्रेमी ने बिना इनके जाति 'बैरवा' बताते हुए प्रमाण-पत्र बनवाए। जिलास्तरीय समिति ने बिना राजस्व रिकॉर्ड जांचे प्रमाण-पत्र को सही ठहरा दिया और इसे रिकॉर्ड पर भी ले लिया। अब समिति ने सभी पक्षों से 25 जुलाई तक दस्तावेज मांगे हैं। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार जाति प्रमाण-पत्र फर्जी साबित होता है तो विधायक प्रेमी की सदस्यता रद्द हो सकती है। हालांकि, मामला हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा।

11 दस्तावेज... जो बताते हैं कबाड़ी जाति एससी में शामिल नहीं

1. 1951 की जमाबंदी में सीएल प्रेमी के पिता पांच्या के नाम छबड़ा में खाता संख्या 46 के 5 खसरा में 20 बीघा 8 बिस्वा जमीन है। इसमें उनकी जाति कबाड़ी लिखी है।

2. सीएल प्रेमी के छबड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन के समय के स्कॉलर रजिस्टर के क्रम संख्या 1139 पर जाति कबाड़ी दर्ज है।

3. सीएल प्रेमी के पिता ने 5 मार्च 1992 को छबड़ा का पैतृक मकान कैलाशबाई गुर्जर को बेचा। पंजीकृत विक्रय पत्र में जाति कबाड़ी।
4. सीएल प्रेमी के पिता ने 7 मार्च 1992 को तीनों पुत्रों के बीच जमीन बंटवारे के लिए वसीयत की, जो छबड़ा उप पंजीयक के यहां पंजीकृत है। इसमें जाति कबाड़ी है।
5. सीएल प्रेमी, भाई गणेशलाल व भैरूलाल ने 1998, 2013 व 2015 में छबड़ा में खेत बेचे। विक्रय पत्रों में जाति कबाड़ी लिखी।

6. भाई भैरूलाल ने जमीन रिकॉर्ड में जाति बैरवा करने को 2016 व 2018 में छबड़ा एसडीएम को आवेदन किया, जो खारिज हुआ।
7. भैरूलाल ने 2021 में ताहिर अली पर धारा-3 में FIR कराई। पुलिस ने इस आधार पर FR लगाई कि कबाड़ी एससी में नहीं आते।
8. कोटा के राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय ने 1988 में हनीफ खान बनाम चून्ना कबाड़ी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कबाड़ी जाति एससी में शामिल नहीं है।

9. गुलाबबाई कबाड़ी व उसकी बहन ने 1992 में ऋषभ जैन को भूमि बेची। नामांतरण विवाद में SDM बारां ने कबाड़ी को एससी नहीं माना।
10. छबड़ा पंजीयन में कई रजिस्ट्री में कबाड़ी लोगों ने जनरल, ओबीसी, एसटी को जमीनें बेचीं, जो एससी में होने पर संभव नहीं।
11. बैरवा कबाड़ी समाज विकास समिति ने 2021 में हाईकोर्ट में 'कबाड़ी' को एससी के प्रमाण-पत्र जारी करने की याचिका दी, जो लंबित है।
(भास्कर के पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं)

प्रमाण-पत्र गलत साबित हुआ तो सदस्यता पर संकट

भाई के सर्टिफिकेट से 4 प्रमाण-पत्र बनवाए, इसकी फाइल गायब प्रेमी ने 1998 में लाडपुरा तहसीलदार से भाई भैरूलाल के सर्टिफिकेट के आधार पर प्रमाण-पत्र बनाया। यह छबड़ा तहसीलदार ने बनाया था। इसकी फाइल ही गायब है। तहसीलदार ने 6 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कराई है। जबकि, प्रेमी ने इसी के आधार पर 2008 में लाडपुरा, 2013 व 2018 में के.पाटन से प्रमाण-पत्र लिए। नौकरी के लिए छबड़ा से लिए प्रमाण-पत्र की फाइल भी गायब है।

मेरी जाति बैरवा है, ये एससी मेरी जाति बैरवा है। पुराने रिकॉर्ड में राजस्व कर्मियों ने कबाड़ी पेशे को जाति के तौर पर लिख दिया। मैंने जाति के आधार पर अपने प्रमाण-पत्र बनवाए हैं।
-सीएल प्रेमी, विधायक केशवरायपाटन